

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 273/2021

वादपत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.



मुखत्यार सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

- वादी

### बनाम्

1. हरदेव सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. कुलवीर कौर पत्नी हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. कुलविन्द्र कौर पत्नी बलराज सिंह उर्फ बलराजविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. अमृतपाल कौर पत्नी मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. जसपाल कौर पत्नी मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. केहर सिंह पुत्र वजीर सिंह (लाओलाद फौत 7/1 ता 7/4)
7. भाग सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया (फौत)
- 7/1 सोहन सिंह पुत्र स्व.मुकन्द सिंह पुत्र स्व.भाग सिंह
- 7/2 आत्मा सिंह पुत्र स्व.मुकन्द सिंह पुत्र स्व.भाग सिंह
- 7/3 मक्खन सिंह पुत्र स्व.मुकन्द सिंह पुत्र स्व.भाग सिंह
- 7/4 हरबंश सिंह पुत्र स्व.मुकन्द सिंह पुत्र स्व.भाग सिंह
8. गुरबचन सिंह पुत्र काहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. चन्द सिंह पुत्र राजू सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया (फौत)
- 9/1 जसवीर सिंह पुत्र स्व.मलकीत सिंह पुत्र स्व.चन्द सिंह
- 9/2 बलकरण सिंह पुत्र स्व.मलकीत सिंह पुत्र स्व.चन्द सिंह
- 9/3 बलवन्त कौर पत्नी स्व.मलकीत सिंह पुत्र स्व.चन्द सिंह
10. नन्द सिंह पिं.राजू सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (फौत)
- 10/1 नाजर सिंह पुत्र स्व. नन्द सिंह
- 10/2 गुरचरण सिंह पुत्र स्व. नन्द सिंह
- 10/3 जगरूप सिंह पुत्र स्व. नन्द सिंह
11. गुरदयाल सिंह पुत्र राजू जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (फौत)
- 11/1 जगतार सिंह पुत्र स्व. गुरदयाल सिंह
12. पाली सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह पुत्र राजू सिंह जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया। (फौत)
- 12/1 हरजिन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. खेतासिंह पुत्र अमर सिंह जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. गुरचरण सिंह पुत्र कालू सिंह जाति जटसिख निवासी फूलू खेड़ा तहसील व जिला मुक्तसर।
15. जग सिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी फूलू खेड़ा तहसील व जिला मुक्तसर।
16. नथू सिंह पुत्र गीता सिंह जाति जटसिख निवासी फूलू खेड़ा तहसील व जिला मुक्तसर।
17. राजा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी फूलू खेड़ा तहसील व जिला मुक्तसर।
18. मलकीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी फूलू खेड़ा तहसील व जिला मुक्तसर।
19. केवल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी फूलू खेड़ा तहसील व जिला मुक्तसर।
20. कुलवंत कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
21. बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
22. हरदयाल सिंह पुत्र राजू सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
23. अवतार सिंह पुत्र राजू सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया (फौत)
- 23/1 हरजिन्द्र सिंह पुत्र स्व. अवतार सिंह पुत्र राजू सिंह
24. कालूसिंह पुत्र बुटा सिंह जाति जटसिख निवासी फूलू खेड़ा तहसील व जिला मुक्तसर (नाम कलमजन)
25. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
26. विनयपाल सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना

- प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

दिनांक :- 22.02.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवन्त सिंह झोरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील व श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताविक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 142/16, 167/112 व चक 10 एएमपी के खाता संख्या 15/3, 67/42, 68/11 में मौके पर कब्जा काश्त की भूमि :-

1. मुखत्यार सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जटसिख सा.प्रतापनगर चक 10 एएमपी के प.न. 153/165 मु.न. 51 किला नं. 14/0.253, 21/1/0.084, 21/2/0.084 प.न. 152/165 मु.न. 52 किला नं. 14/2/0.085 कुल 0.506 है.
2. प्रतिवादी संख्या 01 हरदेव सिंह पुत्र अमर सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 कुलदीपकौर पत्नी हरदेव सिंह बहिब चक 17 बीजीपी के प.न. 154/166 मु.न. 73 किला नं. 11/0.253 कुल 0.253 है. चक 10 एएमपी के प.न. 153/165 मु.न. 51 किला नं. 17/2/0.168, 24/0.253 कुल 0.421
3. प्रतिवादी संख्या 3 कुलविन्द्र सिंह पत्नी बलराज सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 4 अमृतपाल कौर पत्नी मनवीर सिंह बहिब चक 10 एएमपी के प.न. 152/165 मु.न. 52 किला नं. 14/1/0.168, 25/0.253 प.न. 152/166 मु.न. 59 किला नं. 24/0.253 कुल 0.674 है.
4. प्रतिवादी संख्या 13 खेतासिह पुत्र अमर सिंह प्रतिवादी संख्या 14 गुरचरण सिंह पुत्र कालूसिह प्रति.सं. 15 जंगसिह पुत्र बुटासिह बहिब 0.506 है. प्रतिवादी संख्या 16 नत्थु सिंह 0.253 है.प्रति सं. 17 ता 19 राजासिह मलकीत सिंह, केवल सिंह पि.प्रीतम सिंह बहिब 0.506 है. की कब्जा काश्त चक 10 एएमपी के प.न. 153/165 मु.न. 51 किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025 प.न. 153/166 मु.न. 60 किला नं. 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025 6/0.253 है.
5. प्रतिवादी संख्या 13 खेतासिह पुत्र अमर सिंह प्रतिवादी संख्या 14 गुरचरण सिंह पुत्र कालूसिह प्रति.सं. 15 जंगसिह पुत्र बुटासिह बहिब 1/3 हि. प्रतिवादी संख्या 16 नत्थु सिंह 1/3 हि प्रति सं. 17 ता 19 राजासिह मलकीत सिंह, केवल सिंह पि.प्रीतम सिंह बहिब 1/3 हि की कब्जा काश्तचक 17 बीजीपी के प.न. 156/166 मु.न. 71 किला नं. 1/0.253, प.न. 155/166 मु.न. 72 किला नं. 2 ता 8/0.253 है.प्र. 14 ता 17/0.253 है.प्र. किला नं. 25/0.253 है. प.न.154/166 मु.न. 73 किला नं. 10,12,18,23,24/0.253 है.प. प.

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

न. 154/167 मु.न. 74 किला नं. 4,7,14/0.253 है.प्र. 5/1/0.228, 5/2/0.025,  
6/1/0.228, 6/2/0.025

6. प्रतिवादी संख्या 26 विनयपाल सिंह पुत्र सुखपाल सिंह की कब्जा काश्त चक 10 एएमपी के

मु.न. 153/166 मु.न. 60 किला नं. 7/0.253 है.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-पीडी/भू.अ./023/4142 दिनांक 13.07.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं प्रतिवादी संख्या 26 विनयपाल सिंह का प्रार्थना पत्र अ.आ.1 नियम 10 सीपीसी अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट - यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज  मुक्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.02.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपर्युक्त अधिकारी  
संगरिया